

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, मेवात-नूंह,
गुरुशाला रोड, वन कम्पलेक्स नूंह-मेवात, दूरभाष एवं फैक्स न०. -01267-274701
E-mail: dfo_mewat@yahoo.com

क्रमांक8.17.....

दिनांक 4-9-2019

सेवा में,

Territory Manager (Retail),
BPC Ltd. Village Karnawas,
Rewari.

विषय:-

**Demand Letter for Diversion of 0.0240335 ha. of forest land for access to retail outlet of BPC Ltd. along NH 248 A, Gurugram-Alwar road, km. 77.328, R/side, at Firozpur Jhirka, under forest division and District Nuh, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Approach/40904/2019.**

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-8967 / 2007 दिनांक 03.09.2019.

उपरोक्त विषय के संबन्ध में आपको लिखा जाता है कि संदर्भांकित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके तहत आपको 380626/- रुपए की राशि नीचे दिए गए निर्धारित प्रफोर्मा में भरकर भेजी जा रही, जिसको आप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website <http://forestsclearance.nic.in> या <http://efclearance.nic.in> के माध्यम से कार्पोरेशन बैंक के नाम चालान जनरेट करके राशि जमा करवायी जाये तथा जमा की गई राशि का चालान/रशीद इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त आप द्वारा PWD (B&R) द्वारा जारी NOC तथा डीटी0पी0 द्वारा जारी NOC/CLU की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए लिखा जाता है कि आप उक्त दोनों NOC की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि केस में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

1	Compensatory Afforestation :	126540
2	Additional Compensatory Afforestation :	121478
3	Penal Compensatory Afforestation :	0-00
4	Catchment Area Treatment :	78202
5	Safety Zone :	0-00
6	Additional Charges for protected area :	0-00

7 Net Present Value (NPV) : 21318

8 Any other charges (if any) :
Felling Charges 9348

Other Charges 1 (if any) : Plants Damage Charges 0-00

Other Charges 2 (if any) : 10% Charge of CA 12654

Other Charges 3 (if any) : Exigency Charges 3% 11086

Total : 380626

Remarks :

वन मण्डल अधिकारी,
मेवात-नूंह।
4/9/2019

पृ० क्रमांक: 918 दिनांक: 4-9-2019

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-8967/2007 दिनांक 03.09.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
मेवात-नूंह।
4/9/2019